— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 अर्जुनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 355 रकबा 2.6790 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 307 रकबा 4.3787 हैक्टेयर में से रकबा 0.9712 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी सख्या 2 मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 309 रकबा 3.2860 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 हड़मानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 2.5171 हैक्टेयर में से रकबा 2.4281 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 363 रकबा 1.8211 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 4 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 307 रकबा 4.3787 हैक्टेयर में से रकबा 3.4075 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. सरकार के पक्ष में रास्ता हेतु मौजा तंवारा के खसरा नम्बर 310 रकबा 2.5171 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर उत्तर दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी तक रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 क्रमशः उमाराम, रामनिवास, शांति, आसी, परमा एवं सुवटी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त वादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
8. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 31.05.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner